प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.06.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अवैध स्मैक की बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 685 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपये), 01 इलैक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 10,200/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 15.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध स्मैक की बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त सचिन पुत्र राम अवतार निवासी एफ-1/एफ-2/74 सुंदर नगरी ,नन्द नगरी दिल्ली उम्र 29 वर्ष को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत वसुन्धरा सेक्टर- 01 टी-प्वॉइंट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध 685 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपये), 01 इलैक्ट्रॉनिक वेट मशीन व घटना में प्रयुक्त 01 कार व 10,200/- रुपये नगद बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन के विरुद्ध धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त सचिन से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त से बरामद अवैध 685 ग्राम स्मैक को दिल्ली से सस्ते दामों में खरीदकर लाता है और इलैक्ट्रॉनिक वेट मशीन के द्वारा स्मैक की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर अधिक मूल्य में नशे करने वाले व्यक्तियों को बेच देता है। इस प्रकार अभियुक्त अधिक मुनाफा अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सचिन पुत्र राम अवतार निवासी एफ-1/एफ-2/74 सुंदर नगरी, नन्द नगरी दिल्ली उम्र 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध 685 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 01 करोड़ रुपये),

01 इलैक्ट्रॉनिक वेट मशीन

घटना में प्रयुक्त 01 कार

10,200/- रुपये नगद बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्द नगरी दिल्ली में आयुद्ध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

विपरीत दिशा में वाहन संचालन के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस द्वारा आज दिनांक 16-06-2025 को कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन में विपरीत दिशा में वाहन संचालन के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा विपरीत दिशा में वाहन संचालन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 26 वाहनों को सीज एवं कुल 232 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी। उक्त अभियान आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेगा।

यातायात पुलिस सभी आमजनों/वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें एवं कभी भी वाहन को विपरीत दिशा में न चलाएं, अन्यथा की स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी प्रकार के यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना वीडियो के साथ यातायात पुलिस कण्ट्रोल रूम नंबर 9643322904 पर भेज सकते हैं।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद।

आज दिनांक 16.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व तलाश वारंटी में 02 वारण्टी/अभियुक्त 1. कपिल उर्फ मोटा पुत्र मुकेश निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. राजीव पुत्र मुकेश निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से तलाशी के दौरान 01-01 अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 315/25 व 316/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गणों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों सगे भाई हैं, पूर्व में हमारे द्वारा कई घटनाएं कारित की गयी हैं, लोगों को डराने धमकाने के लिये अपने पास अवैध चाकू रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कपिल उर्फ मोटा पुत्र मुकेश निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष
2. राजीव पुत्र मुकेश निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त कपिल उर्फ मोटा के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम, चोरी, लूट गुण्डा अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त कपिल उपरोक्त थाना मुरादनगर पर हिस्ट्रीशीटर हैं।
अभिय़ुक्त राजीव के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी, गुण्डा अधिनियम, आर्म्स एक्ट के कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही हैं।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना वेव सिटी पर दिनांक 13.06.2025 को वादी के प्रार्थना पत्र पर, अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले जाने उसके साथ दुष्कर्म करने एवं गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में धारा 137(2)/65(1)/352/351(3) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.06.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वाहिद पुत्र साबिर नि0 उस्मान गढी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैंने बहला-फुसलाकर इस लड़की से दोस्ती कर ली थी और इसी दोस्ती के झांसे में लेकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

वाहिद पुत्र साबिर निवासी उस्मानगढी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

थाना वेव सिटी पर दिनांक 26.05.2025 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली गलौच कर चाकू व डंडो से एक राय होकर हमला कर घायल करना व धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना वेव सिटी पर धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/131/351(3)/109(1) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.06.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रिन्स पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरा अपने गांव के वादी के बेटे के साथ कहासुनी हो गयी थी, गुस्से में आकर मैंने वादी के बेटे को चाकू मार दिया था और भाग गया था, चाकू झाडियों में छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

प्रिन्स पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा धर्मान्तरण कराने में शामिल 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 15.06.2025 को वादी श्री प्रबल गुप्ता पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी कृष्णा नगर बागू गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना दी गयी कि दिनांक 15/06/2025 को मेरे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि प्रेमचन्द पुत्र रामरत्न जाटव निवासी राहुल विहार के घर में उसकी मर्जी से चोरी छिपे बिना अनुमति ईसाई धर्म प्रचारक फादर विनोद कुंजू मोहन कत्टदिइल पुत्र के0पी0 जोसेफ नि0 7/11 सैक्टर 2 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद गाजियाबाद मूल नि0 कट्टादिल हाउस वेला नीलम थाना मुन्डाकैम जिला कोट्यम केरल का एक व्यक्ति अनुसूचित जाति व अन्य लोगों को जबरन लोभ-लालच देकर ईसाई धर्म मे परिवर्तन करवा रहा है। जब वादी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा तो प्रेमचन्द के घर में यह धर्म परिवर्तन का प्रोग्राम चल रहा था। जब वादी और उसके साथियों ने विरोध किया तो इन दोनों लोगों ने वादी व वादी के साथियों के साथ गाली-गलोच कर जान से मारने की धमकी दी व मारपीट की गयी। जिसके सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अन्तर्गत धारा 115(2)/351(3)/352 BNS व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त (1) विनोद कुंजू मोहन कत्टदिइल पुत्र के0पी0 जोसेफ नि0 7/11 सैक्टर 2 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद गाजियाबाद मूल नि0 कट्टादिल हाउस वेला नीलम थाना मुन्डाकैम जिला कोट्यम केरल उम्र 50 वर्ष (2) प्रेमचन्द पुत्र रामरतन जाटव नि0 म0नं0 168 राहुल विहार 1 बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 66 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त विनोद कुंजूमोन उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं 28 वर्षो से ईसाई धर्म का प्रचारक हूं अपने साथी प्रेमचन्द के साथ मिलकर लोगो को ईसाई धर्म मे आने के लिए प्रलोभन देता था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

(1) विनोद कुंजू मोहन कत्टदिइल पुत्र के0पी0 जोसेफ नि0 7/11 सैक्टर 2 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद गाजियाबाद मूल नि0 कट्टादिल हाउस वेला नीलम थाना मुन्डाकैम जिला कोट्यम केरल उम्र 50 वर्ष।

(2) प्रेमचन्द पुत्र रामरतन जाटव नि0 म0नं0 168 राहुल विहार 1 बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबादउम्र 66 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तोंके विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटनाके संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 पव्वे अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद।

दिनांक 15.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गोपाल पुत्र संजीव कुमार गुप्ता निवासी- तिलकराम कालोनी, नियर शर्मा बिल्डर्स के सामने वाली गली, किराये पर, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 22 पव्वे ऑल सीजन अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63/72 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी-छिपे अंग्रेजी शराब खरीद कर लाया था और स्कूटी की डिग्गी में रखकर मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

गोपाल पुत्र संजीव कुमार गुप्ता निवासी- तिलकराम कालोनी, नियर शर्मा बिल्डर्स के सामने वाली गली, किराये पर, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

22 पव्वे ऑल सीजन अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।